

उत्तर मध्य रेलवे

याता/सामान्य/सा0 एवं स0 नियम/संशो0/05/05  
दि0 03.12.2007

प्रधान कार्यालय  
इलाहाबाद

वरि0 मण्डल परिचालन प्रबन्धक  
उ0म0रे0; इलाहाबाद, आगरा, झांसी

विषय:- उत्तर मध्य रेलवे की "सामान्य एवं सहायक नियम 2007" पुस्तक में संशोधन।  
सन्दर्भ:- निदेशक (संरक्षा), रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2007/संरक्षा-(ए&आर)/19/3 दिनांक 03.12.2007

सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उत्तर मध्य रेलवे की "सामान्य एवं सहायक नियम 2007" पुस्तक के सामान्य नियम 4.09(3) के स्थान पर निम्न संशोधन पत्र संख्या 02 को प्रतिस्थापित करें :-

"सामान्य एवं सहायक नियम 2007" पुस्तक का संशोधन पत्र संख्या 02 दिनांकित 03.12.2007

'The Caution Order referred to in sub rule (1) shall be on white paper in blue or black font or typed or made out on computers with the words "CAUTION ORDER" written on top of the Form in bold letters of appropriate font size to draw attention distinctly and signed in full.'

'उप नियम (1) में निर्दिष्ट सतर्कता आदेश को सफेद कागज पर नीले या काले फॉन्ट में या टंकित रूप में या कम्प्यूटर से तैयार किया जाएगा और ध्यानाकर्षण हेतु फार्म के ऊपर उपयुक्त फॉन्ट साइज बोल्ट अक्षरों में "सतर्कता आदेश" स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा और उस पर पूर्ण हस्ताक्षर किया जाएगा।'

प्रतिलिपि- सभी विभागाध्यक्ष उ0म0रे0।  
मण्डल रेल प्रबन्धक इलाहाबाद, आगरा, झांसी

  
(एच.बी.शर्मा)  
कृते मुख्य परिचालन प्रबन्धक